


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
07.05.2026	<p>पत्रावली पेश हुई । प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित । पैरोकार सरकार उपस्थित । उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 जा.दी. व आदेश 01 नियम 10 जा.दी. पर बहस सुनी गयी । प्रार्थी अधिवक्ता का प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 जा.दी. व आदेश 01 नियम 10 जा.दी.खारिज किया जाता है । न्यायालय कार्यवाही के दौरान प्रार्थी द्वारा भूमि का अन्तरण कर दिये जाने से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कार्यवाही का कोई ओचित्य नहीं रह जाता है । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार योग्य नहीं ठहरता है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो दफ्तर दाखिल हो ।</p> <p style="text-align: center;">  7/5/26 उपखण्ड अधिकारी मीलवाडा </p>	